कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री देवेन्द्र इंजीनियरिंग वर्क्स ,24ए रिलायबिल वाटर सप्लाई कम्पाउन्ड, कानपुर रोड, लखनऊ ।**

प्रा0प0सं0- **382/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री एस0सी0हासवानी ,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी द्वारा दिनांक 15-10-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें रेलवे ट्रैक मशीन पार्टस पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है :-

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 2682दिनांक 11-11-08 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के कमांक 105 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

105	Rail coaches, engines & wagons and parts thereof.

वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-सी के कमांक 222 पर निम्न प्रविष्टि अंकित है :-

222	Railway switches, crossings, switch expansion joints, steel turnout sleepers, fish -plate, steel clips, track bolts and nuts, elastic rail clips and railway signal, signalling equipments and accessories and parts thereof.

व्यापारी द्वारा मुख्यतः रेलवे को आपूर्ति की जाती है । व्यापारी द्वारा आपूर्ति की गयी वस्तु उक्त श्रेणी में आती है तो 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी । यदि उक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी की आपूर्ति है तो 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी ।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री एस0सी0हासवानी ,अधिवक्ता उपस्थित हुये व उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यो को दोहराया गया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं प्राप्त विभागीय आख्या तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया । व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न रेलवे ट्रैक मशीन पार्टस के नाम से कोई प्रविष्टि उपरोक्त अनुसुची में नहीं है अतः उक्त पर अवर्गीकृत होने के कारण 12.5 प्रतिशत करयोग्य माना जायेगा तथा अनुसूची-2 भाग-ए के कमांक 105 व अनुसूची-2 भाग-सी के कमांक-222 मे आने वाली वस्तुऐ 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगी ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 05 दिसम्बर,2008

ह0/ 5-12-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि